मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभभवन–462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

कमांक एफ–3–1/2016/पैंतीस – राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग इन्दौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 से चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट–1 के लेवल 12 के प्रारंभिक वेतन रू. 56100/–(छंठवा वेतनमान वेतन बैंड रू. 15600–39100+5400 पी.बी. बैंड) में कंडिका–2 में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन नियुक्त करते हुए आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम (6) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है:–

क.	पी.एस.सी. स. कमांक	नाम	गृह जिला	जाति	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	263	डॉ. अंजना माझी	रीवा	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय, अमरपाटन जिला सतना।
2	268	डॉ. माधुरी धुर्वे	होशंगाबाद	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय, भीमपुर, जिला बैतूल।
3	294	डॉ. नितिन कुमार किरार	जबलपुर	अ.जा.	पशु चिकित्सालय, मोहझरी, जिला बालाघाट।

2/– नियुक्ति की शर्ते:–

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम–8 एवं म.प्र. पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 के नियम–19 के अंतर्गत उल्लेखित नियुक्तियां प्रथमतः 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।

(2) परीवीक्षा अवधि में स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 तथा सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, नियमित शासकीय सेवक को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये अथवा लागू किये जावे के अधीन रहेंगे।

(3) परीवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक ना पाये जाने या आगे पर्याप्त कारणों से राज्य शासन द्वारा परीवीक्षा अवधि आगे वृद्धि की जा सकेंगी या सेवायें एक माह के नोटिस अथवा नोटिस–पे भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकेंगी।

(4) उपरोक्त नियुक्ति उम्मीदवारों में से यदि कोई उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने के बाद सेवा त्याग–पत्र देना चाहे तो उन्हे शासन को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा, अथवा उसके बदले एक माह का या ऐसी सूचना एक माह से जितने दिन कम की हो उतने दिनों के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि शासन को जमा करनी होगी, ऐसा ना करने पर उनसे उक्त राशि ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाया के समान वसूल की जायेगी।

(5) नियुक्त उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, के पद का पदभार नियुक्ति आदेश में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस में निश्चित रूप से ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति समाप्त मानी जायेगी।

(6) पदभार ग्रहण करते समय मेडिकल बोर्ड से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र संबंधित जिले के उप संचालक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(7) शासकीय/अर्द्धशासकीय निगमों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

OR14

(8) विभागीय परीक्षा 2 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी।

(9) अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सूची के अनुसार होगी।

(10) चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

3/– यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4/– यह नियुक्ति आदेश याचिका कमांक 17784/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा परित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

5/– प्रमाणित किया जाता है कि उल्लेखित नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

पृ. कमांक एफ–3–1/2016/पैंतीस
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर की ओर उनके पत्र क. 10708/79/2016/चयन, दिनांक 03.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. संचालक, पशुपालन संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र उनके सेवा अभिलेख में रखने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
5. निज सहायक प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. संबंधित संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें मध्यप्रदेश।
8. संबंधित उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश। कृपया कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें एवं मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत एक–एक सत्यापित प्रति विभाग को भेजें तथा एक–एक सत्यापित प्रति संबंधित की नस्ती में रखी जावे।
9. संबंधित सिविल सर्जन एवं अध्यक्ष जिला मेडिकल बोर्ड मध्यप्रदेश। कृपया उपरोक्तानुसार आपके जिले में नियुक्त उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उपलब्ध कराएं।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (प्रेस प्रकोष्ठ), मंत्रालय भोपाल।
12. संबंधित डॉ. ....निवासी..जिला.............. ....म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप अपने पद एवं पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अनिवार्यत: कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा आपकी संबंधित पद पर नियुक्ति से संबंधित आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
13. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

OR14